ग्रामीण सेवा शिविर-[illegible] 227/25

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान..... करनाणा .....

दिनांक :– 29/9/25

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... करनाणा ..... व भू–अभिलेख निरीक्षक ..... उदय ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कपासन**की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... दांता ..... तहसील **कपासन** जिला **चित्तौड़गढ़**की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या ..... 340 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दांता	340	गोपाल लाल, भगवती लाल, श्याम लाल पुत्र देवजी जाट	गोपाल लाल, भगवती लाल, श्याम लाल पुत्र देवीलाल जाट

(पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :– 27/09/25

क्रमांक/.....

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, ...को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पदेन सहायक कलेक्टर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला-चित्तौड़गढ़ •